



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. s0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक: F37(2)/नि.आ./बीपीसी(एलपी)/का.वि./2019/6041

दिनांक:- 07/03/2019

## :-कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 01/2019 वीं बैठक दिनांक 27.02.2019 को सांय 03:00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	1	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी, सांगरिया के खसरा संख्या 226, 227, 228 वगैरह के रकबा 60059. 28 वर्गगज भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।  आवेदक:- जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जोन दक्षिण)  बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02. 2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- विवेक विहार योजना जोधपुर विकास प्राधिकरण की अनुमोदित योजना है। उक्त योजना के विभिन्न सेक्टर में व्यवसायिक उपयोग हेतु ब्लॉक आरक्षित है। उक्त ब्लॉक में अभियांत्रिकी शाखा से प्राप्त 7 ब्लॉक B1/160, B2/160, B3/160, B1/100, B3/100, B4/100, व B5/100, की मौका रिपोर्ट व विवेक विहार योजना आवाप्तसुदा भूमि आवंटन की लॉटरी अनुसार व अनुमोदित मानचित्र अनुसार प्लानिंग कर मानचित्र तैयार किये गये है।  समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में ले-आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।
2.	2	राजस्व ग्राम बासनी बैन्दा के खसरा संख्या 17/1 के रकबा 00.07.05 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।  आवेदक :- श्री विरमाराम जरिये आम-मुख्यार श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह (जोन पूर्व)  बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02. 2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- ● जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को जो.वि.प्रा. द्वारा पूर्व में अनुमोदित किये गये खसरा संख्या-17/9 के अनुमोदित प्लान से 40 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। मौके पर 40 फीट डामर सडक निर्मित है। ● प्रकरण को पूर्व में ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 03.10.2018 में लिये गये निर्णय के क्रम में में विधि अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर के पत्रांक 285, दिनांक 06. 02.2019 के अनुसार आवेदित खसरा संख्या 17/1 में वर्णित राजस्व वाद विद्गोल कर लिया गया है। वर्तमान समय में किसी प्रकार का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा आगामी कार्यवाही हेतु जोविप्रा, जोधपुर स्वतंत्र है। ● आवेदित भूमि तक न्यूनतम 40 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी है। ● राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 12.08.2015 अनुसार यदि प्रस्तावित स्थल को विद्यमान न्यूनतम पहुँच मार्ग 40 फीट चौड़ा उपलब्ध नहीं है तो धारा 90/ए की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी अतः उपरोक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी अपेक्षित है। ● जोन उपायुक्त ने अवगत कराया कि तहसीलदार (राजस्व) की चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में कोर्ट में कोई वाद लम्बित नहीं है।  समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त ले-आउट प्लान

Handwritten signature and date: 07/03/2019

Handwritten signature

Handwritten signature



			<p>अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे सेक्टर/जोनल प्लान में उक्त प्रकरणों को समायोजित किये जाने की सुनिश्चितता की जावे।</li> </ul>
3.	3	<p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 399/1 के रकबा 04.00.00 बीघा भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती आशा व्यास जरिये श्री राजस्थान विकास संस्थान (जोन पूर्व)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग 60 फीट मार्गाधिकार प्राप्त हो रहा है। आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग, प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित खसरा-401 के अनुमोदित प्लान में से प्राप्त हो रहा है।</li> <li>जोन चैकलिस्ट अनुसार मौके पर 90 प्रतिशत भूमि खाली है, चारदीवारी, गार्डन, प्ले-ग्राउण्ड व 25 बाई 28 फीट का भवन निर्माणधीन है।</li> <li>आवेदित भूमि तक न्यूनतम 60 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी है।</li> <li>आवेदित भूमि के सुपरईम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>जोन उपायुक्त ने अवगत कराया कि तहसीलदार (राजस्व) की चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में कोर्ट में कोई वाद लम्बित नहीं है।</li> </ul> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रकरण में मौके पर सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को हटाये जाने बाबत् प्रार्थी से शपथ-पत्र लिया जावे तथा प्रार्थी द्वारा उक्त सैटबेक में किये गये निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त 90-ए व पटटा जारी किये जाने की कार्यवाही की जावे।</li> <li>निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे सेक्टर/जोनल प्लान में उक्त प्रकरणों को समायोजित किये जाने की सुनिश्चितता की जावे।</li> </ul>
4.		<p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 414/1, 414/2 व 414/3 के रकबा 11.10.00 बीघा भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्री विजय मेहरा व श्री जय मेहरा पुत्र श्री जोराराम (जोन पूर्व)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुँच मार्गाधिकार 60 फीट है, किन्तु घोषित रास्ता नहीं है।</li> <li>जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के समीप खसरा संख्या-413 में जो.वि.प्रा. द्वारा राजस्थान विकास संस्थान को संस्थानिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गयी। उक्त संस्था के अध्यक्ष द्वारा 50 रु के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर आवेदित भूमि तक 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान की है।</li> <li>आवेदित भूमि तक न्यूनतम 60 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी है।</li> <li>जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के पीछे पी.एच.ई.डी. की कुडी हौद(वॉटर स्टोरोज फॉर पब्लिक सप्लाई) निर्मित है।</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>जोन उपायुक्त ने अवगत कराया कि तहसीलदार (राजस्व) की चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में कोर्ट में कोई वाद लम्बित नहीं है।</li> </ul> <p><b>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रकरण में आवेदित भूमि तक दशाये गये 60 फीट पहुँच मार्ग को निरन्तर किया जावे तथा सडक हेतु आवश्यक भूमि निःशुल्क जो.वि.प्रा. को समर्पित की जावे।</li> <li>निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे सेक्टर/जोनल प्लान में उक्त प्रकरणों को समायोजित किये जाने की सुनिश्चितता की जावे।</li> </ul>
5.	<p>राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 122/3 व 122/4 के रकबा 04.02.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्री डूंगरराम व श्री शेषाराम (जोन पूर्व)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p><b>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 30 कटाणी मार्ग है। मौके पर राजस्व रास्ते पर कंटीली झाडिया है। इस कटाणी मार्ग के समीप ही अन्य वैकल्पिक रास्ता है, जिसका लोग अधिक उपयोग करते है। इस कटाणी मार्ग का उपयोग लोग यदा-कदा ही करते है।</li> <li>प्रारूप-7 अनुसार आवेदित भूमि में से पानी की पाईप लाईन भूमिगत निकल रही है, उक्त का अंकन ले-आउट प्लान पर करवाया जाना अपेक्षित है।</li> <li>राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.08.2015 अनुसार यदि प्रस्तावित स्थल को विद्यमान न्यूनतम पहुँच मार्ग 40 फीट चौडा उपलब्ध नहीं है तो धारा 90/ए की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी अतः उपरोक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी अपेक्षित है</li> <li>आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>जोन उपायुक्त ने अवगत कराया कि तहसीलदार (राजस्व) की चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में कोर्ट में कोई वाद लम्बित नहीं है।</li> </ul> <p><b>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रकरण में आवेदित भूमि तक उपलब्ध 30 फीट कटाणी मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे तथा आवेदित भूमि के समीप स्थित योजना की सडकों का मिलान किया जावे।</li> <li>आवेदित भूमि में से गुजर रही पानी की पाईप लाईन की शिफटींग उपरान्त ही 90-ए व पटटा जारी करने की कार्यवाही की जावे।</li> <li>निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे सेक्टर/जोनल प्लान में उक्त प्रकरणों को समायोजित किये जाने की सुनिश्चितता की जावे।</li> </ul>
6.	<p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 400/2 के रकबा 02.00.00</p>	<p><b>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से पहुँच सडक का</li> </ul>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	<p><b>बीघा भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</b></p> <p>आवेदक :- श्री जय मेहरा पुत्र श्री जोशाराम (जोन पूर्व)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p>मार्गाधिकार 60 फीट है, जो मौके पर सी.सी सडक व ईन्टरलॉकिंग टाईल्स लगी हुयी है ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर चार दीवारी, गार्डन व 25 फीट बाई 28 फीट का भवन निर्माणाधीन है ।</li> <li>• जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट मार्गाधिकार प्राप्त हो रहा है। आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या-400(90-बी उपरान्त नवीन बट्टा संख्या-400/2) के अनुमोदित प्लान से प्राप्त हो रहा है।</li> <li>• आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>• जोन उपायुक्त ने अवगत कराया कि तहसीलदार (राजस्व) की चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में कोर्ट में कोई वाद लम्बित नहीं है।</li> </ul> <p><b>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रकरण में मौके पर सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को हटाये जाने बाबत प्रार्थी से शपथ-पत्र लिया जावे तथा प्रार्थी द्वारा उक्त सैटबेक में किये गये निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त 90-ए व पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही की जावे।</li> <li>• निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे सेक्टर/जोनल प्लान में उक्त प्रकरणों को समायोजित किये जाने की सुनिश्चितता की जावे।</li> </ul>
7.	<p>7</p> <p><b>राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा संख्या 563/3 के रकबा 08.00.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</b></p> <p>आवेदक :- श्रीमती गीता पत्नि श्री देवाराम, (जोन पूर्व)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p><b>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 35 से 40 फीट (राजस्व मानचित्र अनुसार) कटाणी मार्गाधिकार प्राप्त हो रहा है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में उक्त कटाणी मार्ग को 60 फीट दर्शाते हुये मानचित्र पेश किये गये है।</li> <li>• माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय के क्रम में न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क एवं खुला क्षेत्र का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तावित ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 4.84 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित किया गया है, जिसे न्यूनतम 5 प्रतिशत रखा जाना अपेक्षित है।</li> <li>• राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.08.2015 अनुसार यदि प्रस्तावित स्थल को विद्यमान न्यूनतम पहुँच मार्ग 40 फीट चौड़ा उपलब्ध नहीं है तो धारा 90/ए की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी अतः उपरोक्त की सुनिश्चिता जोन स्तर पर की जानी अपेक्षित है</li> <li>• आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान</li> </ul>



		<p>सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जोन उपायुक्त ने अवगत कराया कि तहसीलदार (राजस्व) की चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में कोर्ट में कोई वाद लम्बित नहीं है।</li> </ul> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रकरण में आवेदित भूमि तक उपलब्ध 35 से 40 फीट कटाणी मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे।</li> <li>• जोन उपायुक्त ने अवगत कराया कि तहसीलदार (राजस्व) की चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में कोर्ट में कोई वाद लम्बित नहीं है।</li> <li>• निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे सेक्टर/जोनल प्लान में उक्त प्रकरणों को समायोजित किये जाने की सुनिश्चितता की जावे।</li> </ul>
8.	<p>राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा संख्या 563/1 के रकबा 08.00.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री नजीर खाँ एवं मोहम्मद युसुफ</p> <p>(जोन पूर्व)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पृथक से आवेदित भूमि खसरा संख्या-563/3 के प्लान अनुसार 60 फीट एप्रोच रोड प्राप्त हो रही है। खसरा संख्या-563/3 रकबा-8 बीघा भूमि के खातेदार श्रीमती गीता द्वारा पृथक से आवेदन पेश किया गया है। मौके पर खसरा संख्या-563/3 की उक्त 60 फीट सडक पर ग्रेवल सडक निर्मित है। वर्तमान में आवेदित भूमि के पहुँच मार्ग के लिये घोषित रास्ता नहीं है, समीप का खसरा संख्या-563/3 में से आवेदित भूमि तक 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। खसरा संख्या-563/3 का पृथक से आवेदन है, जिसका योजना मानचित्र अनुमोदित होने पर आवेदित भूमि को 60 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो जायेगा।</li> <li>• माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय के क्रम में न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क एवं खुला क्षेत्र का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तावित ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 1.68 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित किया गया है, जिसे न्यूनतम 5 प्रतिशत रखा जाना अपेक्षित है।</li> <li>• आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</li> </ul> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावित ले-आउट प्लान में भूखण्डों के माप का अंकन व न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क का प्रावधान करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>



9.	<p>राजस्व ग्राम गुडा विश्नोईयान राईकान के खसरा संख्या 752/17 के रकबा 11.19.00 बीघा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री चेतनराम पुत्र श्री नारायणराम सरगरा</p> <p>(जोन-पूर्व)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● जोन चैक लिस्ट अनुसार पहुँच मार्ग तरमीम सुदा मार्ग खसरा संख्या-753/2 रकबा-00.13.00 बीघा किस्म गै.मु रास्ते के रूप मे उपलब्ध है।</li> <li>● जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुँच सडक का मार्गाधिकार 40 फीट है। राजस्व रिकोर्ड अनुसार उक्त रास्ता खसरा संख्या-753/2 किस्म गै.मु रास्ते के रूप मे दर्ज है।</li> <li>● राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.08.2015 अनुसार यदि प्रस्तावित स्थल को विद्यमान न्यूनतम पहुँच मार्ग 40 फीट चौडा उपलब्ध नहीं है तो धारा 90/ए की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी अतः उपरोक्त की सुनिश्चिता जोन स्तर पर की जानी अपेक्षित है</li> <li>● आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>● जोन उपायुक्त ने अवगत कराया कि तहसीलदार (राजस्व) की चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में कोर्ट में कोई वाद लम्बित नहीं है।</li> </ul> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रकरण में आवेदित भूमि तक उपलब्ध 40 फीट पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे।</li> <li>● निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे सेक्टर/जोनल प्लान में उक्त प्रकरणों को समायोजित किये जाने की सुनिश्चितता की जावे।</li> </ul>
10.	<p>राजस्व ग्राम गुडा विश्नोईयान राईकान के खसरा संख्या 752/07 के रकबा 08.05.00 बीघा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री चेतनराम पुत्र श्री नारायणराम सरगरा</p> <p>(जोन-पूर्व)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग तरमीम सुदा मार्ग खसरा संख्या-752/37 रकबा-00.07.00 बीघा किस्म गै.मु रास्ते के रूप मे उपलब्ध है।</li> <li>● जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से पहुँच मार्ग सडक का मार्गाधिकार 40 फीट है। राजस्व रिकोर्ड अनुसार उक्त रास्ता खसरा संख्या-752/37 किस्म गै.मु रास्ते के रूप मे दर्ज है।</li> <li>● राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.08.2015 अनुसार यदि प्रस्तावित स्थल को विद्यमान न्यूनतम पहुँच मार्ग 40 फीट चौडा उपलब्ध नहीं है तो धारा 90/ए की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी अतः उपरोक्त की सुनिश्चिता जोन स्तर पर कि जानी अपेक्षित है</li> <li>● आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>● जोन उपायुक्त ने अवगत कराया कि तहसीलदार (राजस्व) की चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में कोर्ट में कोई वाद लम्बित नहीं है।</li> </ul> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ</p>

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



		<p>ले-आउट प्लान अनुमोदित कि जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रकरण में आवेदित भूमि तक उपलब्ध 40 फीट पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे।</li> <li>• निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे सेक्टर/जोनल प्लान में उक्त प्रकरणों को समायोजित किये जाने की सुनिश्चितता की जावे।</li> </ul>
11.	<p>राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा संख्या 310/5, के रकबा 10.13.00 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री ओमाराम</p> <p>(जोन-पूर्व)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जोन चैक लिस्ट मे राजस्व दृष्टि से प्रकरण मे ले-आउट हेतु अनुशंषा नही की गयी है।</li> <li>• आवेदित भूमि को मौके पर 40 फीट मुर्डिया रोड से मार्गाधिकार प्राप्त हो रहा है, उक्त रास्ता घोषित रास्ता नही है।</li> </ul> <p>आवेदित भूमि को समीपीय खसरा संख्या 327/3, 327/4, 327/5, 327/6 व 327/1, 327/2, 310/1, 310/3, 310/4 व 310/12 की कृषि भूखण्ड योजना क्षेत्रों में 40 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। उक्त 40 फीट सडक पर लगभग आधे भाग पर डामर कर रखा है उवं शेष मुर्डिया रोड मौके पर संचालित है।</p> <p>उक्त पहुँच मार्ग बाबत खसरा संख्या-310/5 की शेष बची भूमि के खातेदार सज्जनी उर्फ सजुडी बाई पत्नि श्री मांगीलाल के आम-मुख्यार (अपंजीकृत आम-मुख्यारनामा) श्री भगवानसिंह मेडतिया द्वारा 100 रु के नॅन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समर्पणनामा पेश किया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.08.2015 अनुसार यदि प्रस्तावित स्थल को विद्यमान न्यूनतम पहुँच मार्ग 40 फीट चौडा उपलब्ध नही है तो धारा 90/ए की कार्यवाही नही की जा सकेगी अतः उपरोक्त की सुनिश्चिता जोन स्तर पर की जानी अपेक्षित है</li> <li>• आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</li> </ul> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि तक आवश्यक न्यूनतम 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध नही होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
12.	<p>राजस्व ग्राम चैनसिंह नगर के खसरा संख्या 40 के रकबा 52.08.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती गंगा, श्री इन्द्राराम, श्री सुमेरराम वगैरहा</p> <p>(जोन-पश्चिम)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रारूप-7 अनुसार आवेदित भूमि से पहुँच सडक का मार्गाधिकार 30 फीट है।</li> <li>• जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रारूप-7 अनुसार आवेदित भूमि मे से 132 के0वी एच0टी लाईन गुजर रही है, जिससे नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी रखी जानी अपेक्षित है।</li> <li>• राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.08.2015 अनुसार यदि प्रस्तावित स्थल को विद्यमान न्यूनतम पहुँच मार्ग 40 फीट चौडा उपलब्ध नही है तो धारा 90/ए की कार्यवाही नही की जा सकेगी अतः उपरोक्त की सुनिश्चिता जोन स्तर पर की जानी अपेक्षित है</li> </ul>

	2019	<p>● आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>● जोन उपायुक्त ने अवगत कराया कि तहसीलदार (राजस्व) की चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में कोर्ट में कोई वाद लम्बित नहीं है।</p> <p><b>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित कि जाने का निर्णय लिया गया:-</b></p> <p>● प्रकरण में आवेदित भूमि तक उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे, तथा उक्त रास्ते को निरन्तर रखते हुए सडक हेतु आवश्यक भूमि निःशुल्क समर्पित की जावे।</p> <p>● प्रस्तावित ले-आउट प्लान में दर्शाये अनुसार एच.टी लाईन के सेफ्टी कॉरिडोर में किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं किया जावे।</p> <p>● निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे सेक्टर/जोनल प्लान में उक्त प्रकरणों को समायोजित किये जाने की सुनिश्चितता की जावे।</p>	
13.	<p>राजस्व ग्राम केरू के खसरा संख्या 1239/2 के रकबा 04.18.00बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :-अर्जुनराम पुत्र श्री लूम्बाराम (जोन-पश्चिम)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p><b>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</b></p> <p>● जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रारूप-7 अनुसार आवेदित भूमि से पहुँच सडक का मार्गाधिकार 40 फीट है, जो कि खसरा संख्या-1256 रकबा-284.11 बीघा जेडीए भूमि में से मौके पर उपलब्ध रास्ता है।</p> <p>● जोन चैक लिस्ट अनुसार पहुँच मार्ग जेडीए भूमि में से है, राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है तथा पहुँच मार्ग का निर्धारण के पश्चात कार्यवाही की जानी उचित रहेगी।</p> <p>● राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.08.2015 अनुसार यदि प्रस्तावित स्थल को विद्यमान न्यूनतम पहुँच मार्ग 40 फीट चौड़ा उपलब्ध नहीं है तो धारा 90/ए की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी अतः उपरोक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी अपेक्षित है</p> <p><b>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निदेशक आयोजना को यू-3 की डी.सी.आर में संशोधन करवाये जाने बाबत् निदेशित किया गया तथा डी.सी.आर में संशोधन होने तक प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।</b></p>	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



14.		<p>राजस्व ग्राम रामपुरा भाटियान् के खसरा संख्या 246/12 व 246/28 के रकबा 28.07.00 बीघा भूमि का लघु उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :-श्री दाउलाल पुत्र श्री गंगाविशान</p> <p>(जोन-उत्तर)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट में औद्योगिक उपयोग(मुख्य उपयोग) हेतु 54.69 प्रतिशत उपयोग दर्शाया गया है।</li> <li>• आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट में औद्योगिक व व्यवसायिक भूखण्डों में लम्बाई व चौड़ाई का अनुपात 3 गुना से अधिक प्राप्त होता है। उक्त हेतु अनुज्ञा सम्बन्धित निर्णय समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>• आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में आंशिक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।</li> </ul> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निदेशक आयोजना को ग्रामीण क्षेत्र की डी.सी.आर में संशोधन करवाये जाने बाबत् निदेशित किया गया तथा डी.सी.आर में संशोधन होने तक प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
15.		<p>राजस्व ग्राम राम नगर के खसरा संख्या 473/1 के रकबा 03.19.00 बीघा भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्री पवन राठी पुत्र श्री मूलचन्द राठी</p> <p>(जोन-उत्तर)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रारूप-7 अनुसार पहुँच मार्ग 200 फीट दर्शाया गया है व जोन चैकलिस्ट अनुसार पहुँच मार्ग 100 फीट दर्शाया गया है। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जानी अपेक्षित है।</li> </ul> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त मास्टर प्लान में प्राप्त आपत्ति के निस्तारण तक प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
16.		<p>राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 131/2/1 व 131/2/2 के रकबा 01.19.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्री गजेन्द्रराम पुत्र श्री बक्शाराम</p> <p>(जोन-उत्तर)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 200 फीट मथानिया सडक पर स्थित है। उक्त सडक की राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं है।</li> <li>• जोन चैकलिस्ट अनुसार सडक सीमा में सडक के समानांतर एक एल.टी. लाईन गुजरती है।</li> <li>• जोन उपायुक्त ने अवगत कराया कि तहसीलदार (राजस्व) की चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में कोर्ट में कोई वाद लम्बित नहीं है।</li> </ul> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में ले-आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आवेदित भूमि तक उपलब्ध मथानिया सडक का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट व सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100-100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जावें।</li> <li>• निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे सेक्टर/जोनल प्लान में उक्त प्रकरणों को समायोजित किये जाने की सुनिश्चितता की जावें।</li> </ul>

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



17.	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 233/1 के रकबा 00.14.08 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्री सोनाराम पुत्र श्री प्रेमराम</p> <p>(जोन-दक्षिण)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से पहुँच सडक का मार्गाधिकार 60 फीट राज्य सरकार को समर्पित खसरा संख्या 233/4 में से है, मौके पर टैक्सटाईल फैक्ट्री का ढांचा निर्मित है पहुँच मार्ग 237 की पूर्व स्वीकृत योजना तथा खसरा संख्या 237 में से प्राप्त हो रहा है जो कि तत्कालीन यूआई.टी द्वारा एकल पट्टा जारी किया गया है।</li> <li>• प्रकरण में बिन्दु संख्या 5 अनुसार सम्पूर्ण ग्राम पर आपत्ति प्राप्त है। जिसके संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>• आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>• पहुँच मार्ग हेतु 60 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी अपेक्षित है।</li> <li>• जोन उपायुक्त ने अवगत कराया कि तहसीलदार (राजस्व) की चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में कोर्ट में कोई वाद लम्बित नहीं है।</li> </ul> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रकरण में मौके पर सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को हटाये जाने बाबत् प्रार्थी से शपथ-पत्र लिया जावे तथा प्रार्थी द्वारा उक्त सैटबेक में किये गये निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त 90-ए व पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही की जावे।</li> <li>• निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे सेक्टर/जोनल प्लान में उक्त प्रकरणों को समायोजित किये जाने की सुनिश्चितता की जावे।</li> </ul>
18.	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 176/6 व 176/7 के रकबा 03.00.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्री निसार मो. पुत्र श्री रमजान मो.</p> <p>(जोन-दक्षिण)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 100 फीट मुख्य सालावास रोड पर स्थित है। मौके पर टेक्सटाईल फैक्ट्री निर्मित है एवं अग्र भाग में दुकाने निर्मित है।</li> <li>• प्रकरण में बिन्दु संख्या 5 अनुसार सम्पूर्ण ग्राम पर आपत्ति प्राप्त है। जिसके संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>• प्रकरण में पत्रावली के पृष्ठ सं 03 पर कार्यालय टिप्पणी के पैरा-13 में जोधपुर-सालावास सडक का मार्गाधिकार 200 फीट का वर्णन है। मास्टर डेवलपमेन्ट प्लान-2031(प्रारूप) अनुसार उक्त सडक का मार्गाधिकार 160 फीट दर्शाया गया है। अतः सडक मार्गाधिकार के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>• प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में खसरा संख्या-176/6 व 174/7 अंकित है, जबकि आवेदन 176/2 व 176/6 का किया गया है। अतः संशोधित</li> </ul>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



		<p>ले-आउट प्लान लिया जाना अपेक्षित है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>• जोन उपायुक्त ने अवगत कराया कि तहसीलदार (राजस्व) की चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में कोर्ट में कोई वाद लम्बित नहीं है।</li> </ul> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तुत ले-आउट प्लान में खसरा संख्या-176/6 व 174/7 अंकित है, जबकि आवेदन 176/2 व 176/6 का किया गया है। अतः प्रकरण जोन उपायुक्त को प्रकरण की जाँच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
19.	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/21 के रकबा 01.14.02 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :-श्री घनश्याम मट्टड पुत्र श्री किशन व श्री सुनिल राठी पुत्र श्री भंवरलाल राठी</p> <p>(जोन-दक्षिण)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 80 फीट कटाणी मार्ग है। उक्त कटाणी मार्ग का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>• प्रकरण में बिन्दु संख्या 5 अनुसार सम्पूर्ण ग्राम पर आपत्ति प्राप्त है। जिसके संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>• आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</li> </ul> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि का प्रस्तुत ले आउट प्लान में दशाये अनुसार क्षेत्रफल व जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल में भिन्नता होने के कारण प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
20.	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 32/13 के रकबा 00.04.07 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :-श्री श्रवणराम गहलोत पुत्र श्री जीवाराम</p> <p>(जोन-दक्षिण)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जोन चैक लिस्ट अनुसार मौके पर आवागमन हेतु वर्तमान में उपलब्ध मार्ग निजी खातेदारी भूमि में से 20-25 फीट प्राप्त हो रहा है।</li> <li>• जोन चैक लिस्ट अनुसार मौके पर आधे भाग पर मकान निर्मित है एवं शेष आधे भाग पर टिन शेड निर्मित है।</li> <li>• राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.08.2015 अनुसार यदि प्रस्तावित स्थल को विद्यमान न्यूनतम पहुँच मार्ग 40 फीट चौड़ा उपलब्ध नहीं है तो धारा 90/ए की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी अतः उपरोक्त की सुनिश्चिता जोन स्तर पर कि जानी अपेक्षित है।</li> </ul> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि तक आवश्यक न्यूनतम पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने से प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
21.	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 233/2 के रकबा 00.14.13 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से पहुँच सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट राज्य सरकार को समर्पित खसरा संख्या 233/4 व 233/6 में से है, मौके पर टैक्सट्राईल फैक्ट्री का ढांचा निर्मित है पहुँच मार्ग 237 की पूर्व स्वीकृत</li> </ul>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



	<p><b>अनुमोदन बाबत् ।</b></p> <p>आवेदक :-श्री शिम्पुराम पुत्र श्री किशनाराम पटेल</p> <p>(जोन-दक्षिण)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p>योजना तथा खसरा संख्या 233/4 व 233/6 में से प्राप्त हो रहा है जो तत्कालीन यू.आई.टी द्वारा एकल पट्टा जारी किया गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रकरण में बिन्दु संख्या 5 अनुसार सम्पूर्ण ग्राम पर आपत्ति प्राप्त है। जिसके संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>• आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>• जोन उपायुक्त ने अवगत कराया कि तहसीलदार (राजस्व) की चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में कोर्ट में कोई वाद लम्बित नहीं है।</li> </ul> <p><b>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रकरण में मौके पर सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को हटाये जाने बाबत् प्रार्थी से शपथ-पत्र लिया जावे तथा प्रार्थी द्वारा उक्त सैटबेक में किये गये निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त 90-ए व पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही की जावे।</li> <li>• निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे सेक्टर/जोनल प्लान में उक्त प्रकरणों को समायोजित किये जाने की सुनिश्चितता की जावे।</li> </ul>
22.	<p><b>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/15 के रकबा 01.14.02 बीघा भूमि का औद्योगिक ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</b></p> <p>आवेदक :-श्री अनुज सोनी पुत्र श्री राधेश्याम सोनी</p> <p>(जोन-दक्षिण)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p><b>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 80 फीट कटाणी मार्ग है, फैंक्ट्रीनुमा भवन निर्मित है। कटाणी मार्ग का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>• प्रकरण में बिन्दु संख्या 5 अनुसार सम्पूर्ण ग्राम पर आपत्ति प्राप्त है। जिसके संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>• आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</li> </ul> <p><b>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण जमाबन्दी एवं ले-आउट प्लान में क्षेत्रफल में भिन्नता होने के कारण प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।</b></p>
23.	<p><b>राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा संख्या 328/4 के रकबा 04.05.00 बीघा भूमि पर क्लब हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</b></p> <p>आवेदक :-श्री झुमरराम पुत्र श्री शिवाराम व श्री कमलजीत रल्हन पुत्र श्री सुरेश कुमार</p>	<p><b>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का पहुँच मार्ग 100 कुड़ी होद व व्यास कॉलेज जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। मौके पर आवासीय मकान, सर्वेन्ट क्वार्टर मय चार दीवारी निर्मित है।</li> <li>• आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</li> </ul>

✓

✓

✓

✓

✓

✓



	(जोन-दक्षिण) बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>जोन उपायुक्त ने अवगत कराया कि तहसीलदार (राजस्व) की चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में कोर्ट में कोई वाद लम्बित नहीं है।</li> </ul> <p><b>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में ले-आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार केनाल का RoW/ खसरे की भूमि को छोड़ने के पश्चात् 100 फीट सड़क की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी होगी।</li> <li>प्रकरण में मौके पर सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को हटाये जाने बाबत् प्रार्थी से शपथ-पत्र लिया जावे तथा प्रार्थी द्वारा उक्त सैटबेक में किये गये निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त 90-ए व पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही की जावे।</li> <li>निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे सेक्टर/जोनल प्लान में उक्त प्रकरणों को समायोजित किये जाने की सुनिश्चितता की जावे।</li> </ul>
24.	<p>राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1855/1087 के रकबा 00.14.13 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :-श्रीमती ममता झंवर पत्नी श्री मनीष झंवर</p> <p>(जोन-दक्षिण)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p><b>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 60 फीट बासनी क्षेत्र में पूर्व में छोड़े गये 60 फीट चौड़ा रास्ता प्रयोजनार्थ मार्ग है, मौके पर हैण्ड्रीकाफ्ट फेक्ट्री का गोदाम स्थित पाया गया।</li> <li>आवेदित भूमि तक न्यूनतम 60 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी है।</li> <li>आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</li> </ul> <p><b>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में आवेदित भूमि का प्रस्तुत ले आउट प्लान में दशाये अनुसार क्षेत्रफल व जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल में भिन्नता होने के कारण प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।</b></p>
25.	<p>राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 793/2 के रकबा 07.00.00 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :-श्री कोजाराम पुत्र श्री रतनाराम</p> <p>(जोन-दक्षिण)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p><b>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 100 फीट कांकाणी से शिकारपुर मुख्य एस.एच पर स्थित है। मौके पर रनिंग बाउण्ड्री वॉल बनी है।</li> <li>प्रारूप-7 अनुसार खसरा संख्या-793/2 एवं विद्यमान सड़क के मध्य एक एल0टी लाईन गुजर रही है।</li> </ul> <p><b>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में प्राप्त आपत्ति के कम में प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।</b></p>
26.	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 8/2, 8/6 के रकबा 02.04.00 बीघा भूमि का थोक व्यापार</p>	<p><b>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जोन चैकलिस्ट अनुसार मुख्य बोरानाडा-सालावास 160 फीट है।</li> </ul>





	<p><b>प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</b></p> <p>आवेदक :-श्री श्रवणराम कुमार पुत्र श्री भीखाराम</p> <p>(जोन-दक्षिण)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रारूप-7 अनुसार एक एच0टी लाईन गुजर रही है, उक्त एच0टी लाईन का मय क्षमता के ले-आउट प्लान पर अंकन करवाया जाना अपेक्षित है।</li> <li>• आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>• जोन उपायुक्त ने अवगत कराया कि तहसीलदार (राजस्व) की चैक लिस्ट अनुसार प्रकरण में कोर्ट में कोई वाद लम्बित नहीं है।</li> </ul> <p><b>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में ले-आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आवेदित भूमि तक उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार मुख्य बोरानाडा-सालावास 160 फीट रखा जावें।</li> <li>• आवेदित भूमि के पासगुजर रही एच0टी लाईन का मय क्षमता के ले-आउट प्लान पर अंकन करवाया जावें तथा नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी रखी जावें।</li> <li>• सैटबैक भाग में हुए निर्माण को हटाये जाने के पश्चात् ही पट्टा जारी किया जाये।</li> <li>• निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे सेक्टर/जोनल प्लान में उक्त प्रकरणों को समायोजित किये जाने की सुनिश्चितता की जावें।</li> </ul>
27.	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 174/18 के रकबा 12.01.00 बीघा भूमि का ट्रांसपोर्ट नगर प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>आवेदक :-श्री पुखराज पुत्र श्री चुन्नीलाल</p> <p>(जोन-दक्षिण)</p> <p>बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 27.02.2019</p>	<p><b>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जोन चैक लिस्ट अनुसार थार ड्राईपोर्ट मे से 60 फीट मार्ग उपलब्ध है तथा कटाणी मार्ग भी उपलब्ध है।</li> <li>• जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 60 फीट पूर्व मे स्वीकृत योजना (थार ड्राईपोर्ट) मे से है, मौके पर एक हॉल एवं पक्का निर्माण पाया गया।</li> <li>• आवेदित भूमि तक ले-आउट प्लान मे दर्शाये अनुसार न्यूनतम 60 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी है।</li> <li>• मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट उपयोग में गतिविधि स्पष्ट नहीं है। मास्टर प्लान 2031 के पृष्ठ संख्या 126 अनुसार ट्रांसपोर्ट हब में ऑटो मोबाईल कम्पनियों के शोरूम, ओटो मोबाईल मार्केट, कस्टमर केयर सेन्टर, सर्विस सेन्टर, कोल्ड स्टोरेज, स्पेयर पार्ट्स शॉप, रिपेयरिंग शॉप, विश्राम स्थल, सामान्य दुकाने, रेस्टोरेन्ट, ट्रको को पुनः लोडिंग करने के लिए प्रतिक्षा हेतु आईडियल पार्किंग स्थल, वेयर हॉउस एवं गोदाम, प्रशासनिक कार्यालय, फायर स्टेशन, पोस्ट आफिस इत्यादि विभिन्न सम्बन्धित सुविधाओं को विकसित किया जावेगा। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र का विस्तृत योजना प्लान तैयार किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें मॉडल रेगलेशन के अनुसार विकास किया जा सकेगा। अतः समिति द्वारा उक्त उपयोग में अनुज्ञेता के संबध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।</li> </ul> <p><b>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जोन स्तर पर तरमीम का परीक्षण, 90/बी किस प्रयोजन हेतु की गई है</b></p>


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



प्रयोजन हेतु की गई है तथा आवेदित भूमि के आस-पास स्थित भूमि के परीपेक्ष्य में परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा निदेशक अभियान्त्रिकी को निर्देशित किया गया कि अनुमोदित किये जा रहे प्रकरणों के बाहय विकास शुल्क आंकलन कर संबंधित जोन उपायुक्त को उपलब्ध करावें तथा तदनुसार जोन उपायुक्त प्रार्थी से बाहय विकास शुल्क वसूल कर अग्रिम कार्यवाही करें।

आयुक्त महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



(गौरव अग्रवाल)  
आयुक्त  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर




(ओ.पी. विरनोई)  
कार्यवाहक सचिव एवं उपायुक्त दक्षिण  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर



(ए.के. गुप्ता)  
निदेशक अभियान्त्रिकी  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर




(श्रवण सिंह)  
उपायुक्त (पश्चिम)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर



(विरेन्द्र सिंह चौधरी)  
उपायुक्त (पूर्व)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर



(अनिल पुनिया)  
उपायुक्त (उत्तर)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर




(पी.आर. बेनिवाल)  
निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर



परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 01/2019 वीं बैठक दिनांक 27.02.2019 को दोपहर 03.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।                  | अध्यक्ष        |
| 2. श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।   | सदस्य          |
| 3. श्री श्रवण सिंह उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर।           | सदस्य          |
| 4. श्री विरेन्द्र सिंह चौधरी, उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य          |
| 5. श्री अनिल पुनिया उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर।           | सदस्य          |
| 6. श्री ओ.पी. विश्णोई, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।       | सदस्य / संयोजक |
| 7. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।        | सदस्य सचिव     |


  
निदेशक (आयोजना),  
एवं सदस्य सचिव,  
भवन मानचित्र समिति (एलपी)

क्रमांक :- F37(2) / नि.आ. / बीपीसी(एलपी) / का.वि. / 2019 / 6042-6046

दिनांक:- 07/03/2019

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपीश्री प्रकाश दाईमा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करें।

  
निदेशक (आयोजना),  
एवं सदस्य सचिव,  
भवन मानचित्र समिति (एलपी)